



Computer/CA

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE : DELHI
POLICE HEADQUARTERS, JAI SINGH ROAD, NEW DELHI 110001.
Tele/Fax No. 011-20818736, Email: Inspr.p.phq@gmail.com

NOTIFICATION

DATED:- 01/10 /2026.

No.XIII/12(17)2026 7017 /Promotion Cell(AC-III)/P.Br/PHQ: **ADMISSION OF NAME TO PROMOTION LIST- "C" FOR THE POST OF HC (EXE.)**:- The name of Retd. Ct. (Exe.) Ram Kishor Tyagi, No. 148/L (PIS No. 28850674) (GN) is hereby admitted to Promotion List "C" (Exe.) for the post of HC (Exe.) w.e.f. 10.12.2009 in terms of Rule 14 of Delhi Police (Promotion & Confirmation) Rules,1980.

For the purpose of seniority, his name will figure at S.No. 131-A between the name of HC (Exe.) Mukesh Chand, No. 1150/NW (PIS No.28850680) mentioned at Sl.No.131 and HC(Exe.) Chander pal singh, No. 7612/DAP (PIS No. 28850676) mentioned at Sl. No. 132 in the Notification issued vide No. 1801/P.Br.(AC-III)/PHQ, dated 27.01.2010.

No.XIII/12(17)2026 7018 /Promotion Cell (AC-III)/P.Br./PHQ: **PROMOTION**: Retd. Ct. (Exe.) Ram Kishor Tyagi, No. 148/L (PIS No. 28850674) whose name exists on Promotion List "C" (Exe.) is hereby promoted to the rank of HC (Exe.) w.e.f. 27.01.2010. He is, however, granted notional promotion in the rank of Head Constable(Exe.) for the period from 27.01.2010 to 31.12.2024(i.e. date of retirement). During this period, he will not be entitled to draw any arrears of pay and allowances of the post of HC(Exe.) as per FR-17(1), which speaks that 'an officer shall begin to draw pay and allowance attached to his tenure of post w.e.f. the date when he assumes his duties of that post and shall cease to draw them as soon as he ceases to discharge those duties'. However, this period will, otherwise, count towards fixation of their seniority and increments etc.

M. .

(ARUN KUMAR SHARMA)
ADDL. DY. COMMISSIONER OF POLICE:
HEADQUARTERS-IV : DELHI.

No.XIII/12(17)2026 7019-24 Promotion Cell (AC-III)/P.Br./PHQ, New Delhi, dated 01/10 /2026.

Copy forwarded to the:-

1. DCP/Prov. & Logistics, Delhi for information and necessary action. The individual may be informed accordingly against his proper receipt & receipt thereof be placed in his Fauzi Missal.
2. ACP/ I.T/PHQ.
3. Register/P.Br.PHQ.
4. Inspr. Estt./PHQ for publication in D.P.G.
5. Inspr. CB/Prom. Cell/PHQ.
6. I/C Computer/CB/PHQ for imaging and uploading the order on the website of Delhi Police.



कार्यालय आयुक्त पुलिस : दिल्ली।

पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली- 110001.

दूरभाष संख्या- 011-20818736, ई-मेल: Inspr.p.phq@gmail.com

अधिसूचना

No.XIII/12(17)2026 7017 Promotion Cell (AC-III)/P.Br./PHQ: पदोन्नति सूची- "C" (कार्यकारी) में नाम प्रधान सिपाही (कार्यकारी) के पद के लिए सम्मिलित करने के संबंध में: सेवानिवृत्त सिपाही (कार्यकारी) राम किशोर त्यागी, नं. 148/L (PIS नं. 28850674) का नाम प्रधान सिपाही (कार्यकारी) के पद के लिए पदोन्नति सूची- "C" (कार्यकारी) में दिनांक 10.12.2009 से दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं पुष्टिकरण) नियम 1980 के नियम 14 के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है।

वरिष्ठता के प्रयोजन हेतु उनका नाम क्रम संख्या 131-A पर प्रधान सिपाही (कार्यकारी) मुकेश चंद, नं. 1150/NW (PIS नं. 28850680), क्रम संख्या 131 तथा प्रधान सिपाही (कार्यकारी) चंदर पाल सिंह, नं. 7612/DAP (PIS नं. 28850676) क्रम संख्या 132 के नाम के बीच इस मुख्यालय द्वारा दिनांक 27.01.2010 को जारी अधिसूचना संख्या 1801/P.Br.(AC-III)/PHQ में है रखा जाएगा।

No.XIII/12(17)2026 7018 /Promotion Cell (AC-III)/P.Br./PHQ: पदोन्नति: सेवानिवृत्त सिपाही (कार्यकारी) राम किशोर त्यागी, नंबर 148/L (PIS नंबर 28850674), जिनका नाम पदोन्नति सूची- "C" (कार्यकारी) में है, उन्हें 27.01.2010 से प्रधान सिपाही (कार्यकारी) के पद पर पदोन्नत किया जाता है। हालाँकि, उन्हें 27.01.2010 से 31.12.2024 (यानी रिटायरमेंट की तारीख) तक की अवधि के लिए प्रधान सिपाही (कार्यकारी) के पद पर काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion) दिया जाता है। इस अवधि के दौरान, वे प्रधान सिपाही (कार्यकारी) पद के वेतन और भत्ते के किसी भी एरियर (बकाया राशि) को पाने के हकदार नहीं होंगे, जैसा कि FR-17(1) में कहा गया है कि 'एक अधिकारी उस पद से जुड़े वेतन और भत्ते को उस तारीख से पाना शुरू करेगा जब वह उस पद का कार्यभार संभालेगा और जैसे ही वह उन कर्तव्यों का पालन करना बंद कर देगा, उन्हें पाना बंद कर देगा'। हालाँकि, यह अवधि उनकी सीनियरिटी और इंक्रीमेंट आदि तय करने के लिए गिनी जाएगी।

[अरुण कुमार शर्मा]

अ० उपायुक्त पुलिस:

मुख्यालय- IV, दिल्ली।

No.XIII/12(17)2026/7019-24 /Promotion Cell (AC-III)/P.Br./PHQ दिनांक 01/10/2026.

प्रतिलिपि अग्रेषित:-

1. डीसीपी/ Prov. & Logistics, सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए। उपर्युक्त प्रधान सिपाही(कार्यकारी) को तदनुसार सूचित करने और उनके हस्ताक्षर करवाकर उनकी रसीद उनके फौजी मिसल में रखी जाए।
2. एसीपी/आईटी/पु.मु. दिल्ली।
3. निरीक्षक/स्था./ पु.मु., दिल्ली को पुलिस राजपत्र में प्रकाशन के लिए।
4. रजिस्टर/कार्मिक शाखा/ पु.मु.।
5. आई/सी कंप्यूटर/गोपनीय शाखा पु.मु. को इस आदेश को दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

उद्घोषणा: अनुवाद में किसी भी प्रकार की विसंगति या कानूनी विवाद की स्थिति में मूल भाषा विषयवस्तु ही मान्य होगी।

Disclaimer: In case of discrepancy or dispute in interpretation the original language text shall prevail.